लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स श्री अजय कुमार झा, (संवेदक) ग्राम–नवटोल बेहठ (दक्षिण), थाना–झंझारपुर, आर0एस0, प्रखण्ड–लखनौर, जिला–मधुबनी द्वारा कमला बलान नदी स्थित कलस्टर– 4 अन्तर्गत भदुआर बालू घाट (मौजा–रखवार एवं भदुआर, अंचल–अंधरा ठाढ़ी), झंझारपुर बालू घाट (मौजा+अंचल–झंझारपुर), सोहराई बालु घाट (मौजा–सोहराई, अंचल–लखनौर), जिला– मधुबनी में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक–सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 12.09.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखण्ड सभागार झंझारपुर, जिला–मधुबनी के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, सं0– एस. ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत् राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0ओ0आर0 (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या–SIA/BR/MIN/426884/2023 दिनांक– 20.05.2023 के आलोक में श्री नरेश झा, अपर समाहर्ता की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

प्रसंगाधीन लोक–सुनवाई की सूचना पर्षद् द्वारा दैनिक सामाचार पत्रों यथा– दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के माध्यम से 06 अगस्त 2023 को प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान श्री एस0एन0 ठाकुर, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, मुजफ्फरपुर के द्वारा अपर समाहर्त्ता महोदय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खनिज विकास पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उधोग केन्द्र, लोक सुनवाई में उपस्थित जन समुदायों एवं पर्यावरण सलाहकार का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्त्ता महोदय के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक–सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री शत्रुधन प्रसाद ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिबिलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया गया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि–

1. यह बालू खनन पट्टा कमला बलान नदी स्थित कलस्टर– 4 अन्तर्गत भदुआर बालू घाट (मौजा–रखवार एवं भदुआर, अंचल–अधरा ठाढ़ी), झंझारपुर बालू घाट (मौजा+अंचल–झंझारपुर), सोहराई बालु घाट (मौजा–सोहराई, अंचल–लखनौर), जिला– मधुबनी में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अजय कुमार झा पिता श्री कुमार झा को इस खनन पट्टा के लिए वैधान्तिक स्वीकृति आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा कमला बलान नदी स्थित कलस्टर– 4 से प्रतिवर्ष 81,780 घन मीटर या 1,32,484 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस योजना का कुल अनुमानित लागत 110.43 लाख (निलामी लागत सहित) अनुमानित है। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के कमला बलान नदी स्थित कलस्टर– 4 को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन पट्टा के सीमा के अन्दर "वैज्ञानिक विधि" तथा अनुमोदित "खनन योजना" के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय, पर्यावरण प्रभाव प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाए गए है।
3. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो।
4. खनन का कार्य केवल 1 मीटर गहराई तक अथवा भूगर्भीय जल सतह के उपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी या वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। इस मार्ग के रख–रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।

खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे–मार्गों, खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी / सावधानी सूचना पट्ट लगाये जायेंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं की सूचना / मोबाईल नम्बर उल्लेखित किए जायेंगे।

7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है, जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गो के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य पेड़ लगायें जायेंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जायेगी।

8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दबाव वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा। इसके लिए ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तहत बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निकासी किया जाएगा।

9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूलकणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। नदी से निर्गत बालू को तिरपाल से ढ़क कर परिवहन किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र किया जाएगा। वहाँ से बालू (खनिज) से रिसने वाला जल, मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना है। बालू (खनिज) में उपलब्ध नमी से धूलकणों के उत्सर्जन को नियंत्रण करेगा।

10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा।

11. खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।

12. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबंधन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय–समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव / मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैः–

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	श्री प्रवीण झा, ग्राम–मेहथ, झंझारपुर– इनके द्वारा पूछा गया कि बालू खनन एवं ढुलाई के समय वातावरण में धूलकण का समस्या होती है। इसका निराकरण के लिए क्या–क्या उपाय किये जायेंगे। रैयती जमीन से मिट्टी काटने का क्या प्रावधान है।	खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा अवगत करया गया कि जिस रास्ते से बालू का ढुलाई किया जाता है। उस रास्ते पर संवेदक द्वारा धूलकण का शमन करने के लिए नियमित रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। खनन हेतु निर्धारित क्षेत्र को चिन्हित कर उसी क्षेत्र से संवेदक द्वारा बालू खनन का कार्य किया जायेगा। निर्धारित क्षेत्र में रैयती जमीन आने पर प्रस्तावक को रैयतों से नियमानुसार सहमति प्राप्त करना होगा।
2.	श्री सियाराम मिश्र, ग्राम–सोहराई, लखनौर– इनके द्वारा कहा गया कि पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताये गये उपायों को संवेदक द्वारा पालन करने पर इस बालू खनन परियोजना से हमलोगों को कोई आपत्ति नहीं है।	पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक द्वारा पहुँच पथ पर दिन में आवश्यकतानुसार 3–4 बार टैंकर से जल छिड़काव कराया जायगा। पहुँच पथ के दोनों किनारे वृक्षारोपण कर विकास कराया जायगा। प्रदूषण नियंत्रण संबंधी प्राप्त प्रमाण–पत्र वाले वाहनों से बालू ढुलाई का कार्य की जायेगी।
3.	श्री मनु मिश्र, ग्राम–हरनाठाढ़ी– इनके द्वारा पूछा गया कि निजी जमीन से मिट्टी काटने का अनुमति, किनसे प्राप्त करना होगा।	खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि निजी जमीन से भी व्यवसायिक उद्देश्य से मिट्टी काटने के पूर्व जिला के संबंधित जिला खनन कार्यालय से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होता है।
4.	श्री श्रवण कुमार झा, झंझारपुर– अवैध अवधि में बालू खनन करने पर हम क्या करेंगे। खनन करने वाले के विरूद्ध किन पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जायेगी।	खनिज विकास पदाधिकारी महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष में 03 माह (अगस्त से अक्टूबर) तक बालू खनन का कार्य नहीं किया जाता है। अवैध रूप से बालू खनन करते हुए पाये जाने पर स्थानीय व्यक्ति द्वारा इसकी शिकायत खनिज विकास पदाधिकारी, परिवहन पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को दे सकते हैं। अवैध खनन एवं ढुलाई करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर उक्त विभाग द्वारा नियमानुकूल दण्ड देने का प्रावधान किया गया है।

बालू खनन करने वाले (संवेदक) श्री अजय कुमार झा द्वारा उपस्थित पदाधिकारीगण एवं जन समूदाय को आश्वासन दिया गया कि लोक सुनवाई के क्रम में पर्यावरण संरक्षण के लिए बताये गये उपाय एवं उपस्थित लोगों के सलाह का पालन बालू खनन एवं परिवहन के क्रम में किया जायेगा।

लोक–सुनवाई के क्रम में अपर समाहर्ता सह अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू एक नैसर्गिक स्रोत है जिसका संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्याधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही इसका समुचित निकासी से स्थानीय एवं राज्य स्तर पर आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण के सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु उपाए सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं अनुपालन नहीं होने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को सुदृढ कराया जा सकेगा।

लोक–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से प्रत्येक बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक–सुनवाई धन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

14/9/2023

क्षेत्रीय पदाधिकारी
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्
मुजफ्फरपुर।

अपर समाहर्त्ता
मधुबनी।

उपस्थिति सूची

श्री अजय कुमार झा द्वारा कमला बलान नदी के मौजा– झंझारपुर, प्रखण्ड– झंझारपुर एवं मौजा–सोहराई, प्रखण्ड–लखनौर, बालू घाट क्लस्टर–04 (भदुआर, झंझारपुर एवं सोहराई बालू घाट क्षेत्रफल–13.63 हेक्टेयर) जिला–मधुबनी में बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 12.09.2023 को अपराह्न 3.00 बजे प्रखंड सभागार, झंझारपुर, जिला–मधुबनी में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	नरेश झा	[illegible]	[illegible]
2.	सम्पूर्णानंद ठाकुर	क्षेत्रीय पदा०, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, मुज०	[illegible] 12.9.2023
3.	रमेश कुमार शर्मा	महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र मधुबनी	[illegible] 12/9/2023
4.	अभिलाषा पाठक	प्र० वि० पदा० – झंझारपुर –	[illegible] 12/9/2023
5.	संतोष कुमार	खनिज विकास पदाधिकारी, मधुबनी	S. Kumar 12.09.'23
6.	Shatrughan Prasad	Ocean – Enviro	S. Prasad 12/09/2023.
7.	AJAY KUMAR JHA	Nartol, Jhanjharpur (R.S) Madhubani, Bihar	Ajay Kumar Jha
8.	भैरव कुमार झा	[illegible]	भैरव कुमार झा
9.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10.	प्रवीण [illegible]	[illegible]	[illegible]

11.	मो० मंगल [illegible]	[illegible]	[illegible]
12.	सुनील झा	महरैल	सुनील झा
13.	बिहारी पासवान	मदनपुर	बिहारी पासवान
14.	रामप्रशादराम	मदनपुर	रामप्रसादराम
15.	शिवकुमार चौपाल	मदनपुर	शिवकुमार चौपाल
16.	श्याम जी झा	महिनाथपुर	श्याम जी झा
17.	गौतम कुमार झा	महिनाथपुर	गौतम कुमार झा
18.	अजीत कुमार	गोधनपुर	अजीत कुमार
19.	रामसेवक यादव	[illegible]पुर	रामसेवक यादव
20.	नीतीश कुमार	महरैल	Nitish Kumar
21.	रामाशंकर यादव	[illegible]	[illegible]
22.	मो० सिद्दीक	[illegible]पुर	[illegible]
23.	नागेश्वर झा	महरैल	नागेश्वर झा
24.	मो० [illegible]	[illegible]पुर	मो० [illegible]
25.	प्रमोद साह	बाबु बरही	प्रमोद साह

26.	मो० फारुक अब्दुल्लाह	कन्हौली	Faruq
27.	मोह अहमद	कन्हौली	[illegible]
28.	मो० अरसद	कन्हौली	Arshad.
29.	मो० इमरान	कन्हौली	इमरान मंसूरी
30.	मो० अरमान	कन्हौली	मो० अरमान
31.	मो० रहीम	कन्हौली	मो० रहीम
32.	रूपेश कुमार	पिपरा[illegible]	[illegible]
33.	Chunna Ji	केउटी	[illegible]
34.	जयशंकर सिंह	मंगरपुर	Jayshankar
35.	Nand Kishor Mishra	Jhanjharpur	[illegible]
36.	विजेन्द्र यादव	Jhan Jhar Pur	[illegible]
37.	Shanlanusingh	Jhan Jhar Pur	[illegible]
38.	Sonu Kumar Jha	Navtal	Sonu Kum Jha
39.	Abdhesh Kumar Jha	Navtol	LalJha
40.	Prakash Kumar.	Navtol	Prakash.

41.	अवधेश यादव	पटना पूर्व	अवधेश यादव
42.	लाल बाबू कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय, मुजफ्फरपुर	Lalbabu
43.	शशिकान्त झा	मधुबनी	Shashi
44.	सियाराम मिश्र	सोहराय	[illegible]
45.	केशव कुमार	सोहराय	Keshav
46.	कुणाल किशोर	Distric mining office Madhubani	[illegible]
47.	राजेश कुमार झा	झंझारपुर	Raju
48.	————	× [illegible] ————	
49.			
50.			
51.			
52.			
53.			
54.			
55.			